न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश संख्या-4, अलवर (राज०)
पीठासीन अधिकारी-अजीत कुड़ी, आर.जे.एस.(जिला न्यायाधीश संवर्ग)
दीवानी नियमित अपील सं.79/2022, (सीआईएस सं.30/2017)
CNR-RJAL010014852017

1. अशोक प्रधान पुत्र स्व० श्री रमेश चन्द प्रधान, उम्र करीब 46 वर्ष
2. अजय प्रधान पुत्र स्व० श्री रमेश चन्द प्रधान, उम्र करीब 48 वर्ष
   निवासीयान 2 ग-22, मनुमार्ग हाउसिंग बोर्ड, अलवर राज०

.....अपीलांट/प्रतिवादीगण

बनाम

1. गजराज सिंह पुत्र श्री तुलसीराम, निवासी मोहल्ला खोहरा, अलवर राज०
2. महीपाल पुत्र श्री कालूराम, निवासी थरेजा नर्सिंग होम के सामने, हनुमान मंदिर के पास अलवर, राज०
3. कैलाश पुत्र श्री सोहनलाल, निवासी थरेजा नर्सिंग होम के सामने, अलवर राज०
4. सुरेश पुत्र श्री कालू, निवासी इण्डियन बैंक के पास, बिजली घर का चौराहा, अलवर राज०
   बजात खुद व बहैसियत नुमाईन्दगान मोहल्ला हनुमान मन्दिर, थरेजा नर्सिंग होम के पास, अलवर राज०

....असल रेस्पोडेंट/वादीगण

1. महेन्द्र प्रकाश उर्फ सोनू पुत्र श्री पूर्ण प्रकाश
2. हेमप्रकाश पुत्र श्री पूर्ण प्रकाश
   निवासीयान हनुमान जी का मन्दिर, कम्पनी बाग के पास, अलवर राज०

....तरतीबी रेस्पोडेंट/प्रतिवादीगण

"पीठासीन अधिकारी श्रीमती कृष्णा राकेश काँवत, सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या-1, अलवर (राज०) द्वारा नियमित दीवानी वाद प्रकरण संख्या 34/294/2003, बअनुवान गजराज सिंह व अन्य बनाम महेन्द्र प्रकाश उर्फ सोनू व अन्य, दावा अंतर्गत आदेश 1 नियम 8 जा०दी० बाबत इश्तकरारहक व आदेशात्मक निषेधाज्ञा, में दिनांक

07.03.2017 को पारित निर्णय व डिक्री के विरूद्ध दीवानी नियमित अपील।"

उपस्थित-

1. विद्वान अधिवक्ता श्री विक्रांत माथुर, अपीलार्थीगण/प्रतिवादीगण की ओर से।
2. विद्वान अधिवक्ता श्री राजीव भार्गव, असल प्रत्यर्थीगण/वादीगण की ओर से।
3. विद्वान अधिवक्ता श्री विनोद कुमार शर्मा, तरतीबी प्रत्यर्थीगण/प्रतिवादीगण की ओर से।

-निर्णय- **दिनांक 28 मार्च 2026**

1. अपीलांट/प्रतिवादीगण की ओर से यह अपील सर्वप्रथम माननीय न्यायालय जिला एवं सेशन न्यायाधीश, अलवर में प्रस्तुत की गयी। माननीय जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय, अलवर के आदेश द्वारा हस्तगत अपील को विधिनुसार विचारण एवं निस्तारण हेतु न्यायालय अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश संख्या-3, अलवर में अंतरित किया गया। तत्पश्चात यह अपील प्रकरण माननीय जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय, अलवर के आदेश दिनाँक 29.01.2022 के द्वारा इस न्यायालय में अंतरित किए जाने पर, यह अपील इस न्यायालय में दिनाँक 14.03.2022 को प्राप्त होकर दर्ज रजिस्टर की गयी।

2. अपीलांट/प्रतिवादीगण की ओर से विद्वान विचारण न्यायालय सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या-1, अलवर (राज०) द्वारा नियमित दीवानी वाद प्रकरण संख्या 34/294/2003, बअनुवान गजराज सिंह व अन्य बनाम महेन्द्र प्रकाश उर्फ सोनू व अन्य, दावा अंतर्गत आदेश 1 नियम 8 जा०दी० बाबत इश्तकरारहक व आदेशात्मक निषेधाज्ञा, में दिनांक 07.03.2017 को पारित निर्णय व डिक्री के विरूद्ध हस्तगत अपील प्रस्तुत की गई है, जिससे संबंधित मामले के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि वादीगण अलवर के निवासी है व विवादित स्थल चाह वाकै शहर अलवर थरेजा नर्सिंग होम के सामने अलवर मंदिर हनुमानजी महाराज के पास वाकै है जो चाह इस वाद में विवादित है। वादीगण चाह मुतनाजा के आसपास

निवास करते है व हनुमान शिवजी के भक्तजन है प्रतिनिधित्व करते है व आसपास के जो हनुमान मंदिर व शिव मंदिर में आते है व विवादित कुंआ से पानी लेकर हाथ मुंह धोकर, नहाकर पाठपूजा करते थे व अपने अपने घरों में चाह मुतनाजा से आवश्यकता पड़ने पर पानी ले जाते थे। समस्त वासिन्दगान मौहल्ला को पक्षकार बनाया तो पक्षकारान को काफी असुविधा होगी, चूंकि वासिन्दगान मौहल्ला अत्यन्त ही गरीब बालबच्चेदार मजदूर पेशा व नौकरी पेशा है जिन्हें पक्षकार वाद में बनने से काफी परेशानी होगी जिससे मौजूदा वाद वादीगण की ओर से बजात खुद व बहैसियत प्रतिनिधि के दावा दायर किया जाता है। विवादित चाह की हद्दूद अर्जा वादपत्र के पैरा संख्या 1 में वर्णित है। विवादित चाह थरेजा नर्सिंग होम के सामने हनुमान मंदिर व शिव मंदिर के दक्षिण पूर्व दिशा में स्थित है जो कुंआ का निर्माण मंदिर के भक्तजन व आसपास (वादीगण) के बुजुर्गाना व अन्य व्यक्तियों ने मंदिर में नहा धोकर हाथ मुंह धोने के लिये कुंआ मुतनाजा का निर्माण कराया है जो भक्तजन व आम आदमी कुंआ मुतनाजा से पानी खेंचकर उसका उपयोग उपभोग करते थे व कुंआ पर हमेशा लेजू (रस्सी) व बालटी पड़ी रहती थी जो कुंआ का उपयोग सभी लोग करते आ रहे थे व आसपास के लोग घर के लिये पानी भी ले जाते थे जो विवादित कुंआ सार्वजनिक है। प्रतिवादीगण ने एक नाजायज गिरोह पार्टी बना रखी है जो मन आये वहां कब्जा कर लेते है व निर्माण कर लेते है व मना करने पर आमदा दंगा फिसाद हाते है व जान से खत्म करने की धमकी देते है व बिला मंजूरी प्राप्त किये निर्माण कर लेते है जिनका उन्हें करने का कानूनन हक व अधिकार नहीं है। प्रतिवादीगण ने हाल ही में अर्सा करीब 6-7 माह पूर्व विवादित चाह सार्वजनिक पर गटर लोहे की लगाकर पाट दिया व उस चाह मुतनाजा पर कमरे का निर्माण कर लिया व मना करने पर आमदा दंगा फिसाद किया जिसकी सूचना नगर विकास न्यास व नगरपालिका को भी दी गई, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं की जिससे प्रतिवादीगण के हौसले और भी बुलन्द हो गये। उक्त निर्माण प्रतिवादीगण ने कानून को खुद हाथ में लेकर बिला मंजूरी निर्माण किया है। प्रतिवादीगण को चाह मुतनाजा पर निर्माण करने का कानूनन हक व अधिकार नहीं था जो कुछ कार्यवाही प्रतिवादीगण

की बदायान्ति पर बनी है जिससे प्रतिवादीगण ने आम आदमी व भक्तगण व आसपास के लोगों की चाह मुतनाजा से पानी लेने में व पानी का उपयोग व उपभोग करने में रूकावट आ गई है व चाह मुतनाजा से पानी लेना बंद हो गया है। प्रतिवादीगण ने विवादित चाह जो सार्वजनिक है ऊपर गटर लगाकर कमरे का निर्माण कर लिया जिससे मंदिर में जो भक्तगण आते है व ताजा पानी से वंचित हो गये है व हाथ मुंह धोने व नहाकर पूजापाठ करने व आसपास के वासिन्दा पानी लेने से विमुख हो गये है जो प्रतिवादीगण ने निर्माण किया है गैरकानूनी है व बिना सरकार की व नगर विकास न्यास की व नगर परिषद की मंजूरी लिये हठमर्दी से निर्माण किया है जो निर्माण अवैध है जो वादीगण आम जनता व भक्तगण के लिये अवैध निर्माण को आदेशात्मक आदेश से तुडवाने के अधिकारी है। कुंआ आम जनता की सुविधा के लिये व भक्तगण जो मंदिर में आते है उनको नहाने धोने के लिये है जिससे भक्तजन नहा धोकर वि हाथ पांव धोकर व मंदिर शिवजी का बना है पर ताजा पानी चढ़ाने के लिये बनाया गया था जो कुंआ आज भी मौजूद है व बहुत अच्छा पानी है जो हमेशा भक्तगण व आसपास के लोगों के काम में आता था जो प्रतिवादीगण ने 6-7 माह पूर्व ऊपर कमरे का अवैध रूप से बिना मंजूरी निर्माण किया है जिसका प्रतिवादीगण को हक हांसिल नहीं था व प्रतिवादीगण ओर भी तामीर करने की धमकी दे रहे है। यदि प्रतिवादीगण ने ओर भी निर्माण कर लिया तो वादीगण को भक्तजन व आसपास के वासिंदगान को काफी असुविधा होगी जिससे वादीगण, प्रतिवादीगण को पाबन्द करवाने के कानूनन मुश्तहक है। तारीख 07.08.2003 को प्रतिवादीगण ने चाह मुतनाजा पर जो निर्माण किया है हटाने से साफ इन्कार कर दिया है व आयन्दा और भी तामीर करने की धमकी दी है जिससे दावा हाजा के लिये उक्त तारीख बिनायदावी व बिनायमुखासमत पैदा होने से दावा अन्दर मियाद पेश है। दावा न्यायालय के श्रवणाधिकार में होने व पर्याप्त कोर्टफीस चस्पा होने के कथन भी किए है। वाद वादीगण खिलाफ प्रतिवादीगण इस प्रकार डिकी किया जावें कि चाह मुतनाजा वाकै थरेजा नर्सिंग होम के सामने, अलवर मंदिर हनुमानजी महाराज व शिवजी महाराज अलवर सार्वजनिक कुंआ है जिस मंदिर में

वादीगण व आसपास व भक्तगण का हित है व चाह मुतनाजा का उपयोग व उपभोग करते थे बहक वादीगण खिलाफ प्रतिवादीगण सादिर फरमाई डिकी आदेशात्मक इस अमर की बहक वादीगण खिलाफ प्रतिवादीगण इस अमर की जारी की जावे कि प्रतिवादीगण ने चाह मुतनाजा पर गटर डालकर व पाटकर कमरे का निर्माण किया है वो मिसमार किया जावे व हुक्म इम्तनाई दवामी से पाबन्द किया जावे कि वो आयन्दा चाह मुतनाजा पर किसी भी प्रकार का निर्माण ना करे व चाह मुतनाजा से पानी लेने में रूकावट व मजाहमत ना करे व चाह मुतनाजा का उपयोग व उपभोग आदि करने में रूकावट व मजाहमत ना करे तथा खर्चा मुकदमा वादीगण को प्रतिवादीगण से दिलाया जावें ।

3. जबकि इसके विपरीत तरतीबी प्रत्यर्थीगण/प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 की ओर से उक्त वादपत्र के खण्डनस्वरूपी जबाब दावा प्रस्तुत कर अभिकथन किया गया है कि विवादित स्थल को चाह के रूप में गलत दर्ज किया है और विवादित होना गलत दर्ज किया है। वादीगण विवादित स्थल के आसपास के निवासी नहीं है, जिम्मन नम्बर 1 में चाह मुतनाजा होना गलत दर्ज किया गया है जबकि मौके पर चाह नहीं है और पूर्व में भी नहीं था एवं हदूद अब गलत दर्ज की है। वादीगण का यह कहना गलत है कि वह चाह से पानी लेकर हाथ मुंह धोकर सेवा पूजा करते हो। प्रतिवादीगण के बुजुर्गान की खातेदारी की भूमि में रिहायशी मकानात हनुमान मंदिर एवं शिव मंदिर स्थित है। वादीगण का यह कहना गलत है कि विवादित चाह का निर्माण वादीगण के बुजुर्गान एवं अन्य व्यक्तियों ने कराया हो और आम आदमी कुंआ मुतनाजा से पानी खिंचकर उसका उपयोग एवं उपभोग करते हो। यह कहना गलत है कि कुंआ मुतनाजा पर हमेशा लेजु बाल्टी पड़ी रहती हो। यह कहना गलत है कि कथित विवादित स्थल पर कुआ सार्वजनिक हो। यह तथ्य इस प्रकार है कि प्रतिवादीगण के पिता पूरण प्रकाश जिनका स्वर्गवास हो चुका है एवं उनके पिता बुजुर्गान की खातेदारी की आराजी भूमि खसरा नम्बर पुराना 2 रकबा 7 बिस्वा हाल खसरा नम्बर 25 रबा 9 ऐयर वाकै मौहल्ला नंगलीकोता अलवर में स्थित है जिस आराजी भूमि में गैरमुमकिन मंदिर दो बिस्वा राजस्व रेकॉर्ड में अंकित है

एवं गैरमुमकिन मंदिर में आबादी है इसके बराबर ही प्रतिवादीगण के बुजुर्गान की खातेदारी की आराजी भूमि खसरा नम्बर 2 गैरमुमकिन मंदिर रकबा 6 ऐयर वाकै मौहल्ला खोहरा, अलवर में स्थित है जो मौहल्ला नंगलीकोता एवं मौहल्ला खोहरा पासपास है। उपरोक्त आराजी भूमि में से कुछ भूमि प्रतिवादीगण के बुजुर्गान के द्वारा पूर्व में ही विक्रय की जा चुकी हैं और शेष बुजुर्गान खातेदारी की भूमि में प्रतिवादीगण के बुजुर्गान की समय से ही रिहायशी जायदाद एवं मंदिर हनुमान जी एवं मंदिर शिवजी के बने हुए है जिन मंदिरों की सेवापूजा एकमात्र प्रतिवादीगण के बुजुर्गान करते थे उनके स्वर्गवास के बाद प्रतिवादीगण के पिता पूरण प्रकाश अपने जीवनकाल तक करते चले आ रहे थे और पूरण प्रकाश के स्वर्गवास के बाद प्रतिवादी नम्बर 1 नेकनियति से मंदिरों की सेवापूजा करता चला आ रहा है और मंदिर पुजारी है और इस प्रकार प्रतिवादीगण के बुजुर्गान मालिक वो काबिज चले आ रहे थे और आज प्रतिवादीगण मालिक एवं काबिज है। इस प्रकार उक्त खसरा नम्बरान में बने हुए रिहायशी जायदाद जिनमें कि प्रतिवादीगण रिहायश करते चले आ रहे है और मंदिरों की सेवापूजा करते चले आ रहे है सार्वजनिक नहीं है, न ही कभी थे, बल्कि प्रतिवादीगण के बुजुर्गान तन्हा काबिज रहे है और उसी अनुरूप आज भी मौके पर प्रतिवादीगण काबिज है। कथित विवादित स्थल पर करीब 15 साल पूर्व प्रतिवादीगण के स्व० पिता ने अपने जीवनकाल में कमरा बनाया था और उन्होंने कमरा बनाने के बाद स्वयं उपयोग किया एवं दिनांक 01.01.2000 को उक्त विवादित स्थल पर बने हुए कमरे को अजय प्रधान को 150/- रूपयें प्रतिमाह की दर पर किराये पर दिया हुआ है जिसमें प्रतिवादी नम्बर 3 बहैसियत किरायेदार के मौके पर काबिज चला आ रहा है जिसका माहवारी किराया प्रतिवादीगण के स्व० पिता पूरण प्रकाश प्राप्त करते रहे थे और अब वर्तमान में प्रतिवादी नम्बर 1 नियमित माहवारी किराया प्राप्त कर रहा है। चूंकि प्रतिवादी नम्बर 3 ने इसी मंदिर परिसर में बनी हुई एक दुकान भी किराये पर ली हुई है जिसमें वह बैठकर कार्य दुकानदारी करता है और उस दुकान का माल रखने हुए गोदाम बनाने के लिए उसने प्रतिवादी के पिता से किराये पर लेने हेतु आग्रह किया था। इस प्रकार मौके पर कथित विवादित

स्थल सार्वजनिक नहीं था और ना है। वादीगण का यह कहना गलत है कि प्रतिवादी ने हाल में 6-7 माह पूर्व विवादित चाह पर गटर लगाकर पाट दिया हो और कमरे का निर्माण किया हो, बल्कि विवादित स्थल पर कमरा 15 साल पूर्व स्व0 पूरण प्रकाश ने अपने जीवनकाल में बनाया था जिसका प्रतिवादी एवं उसके परिजन उपयोग एवं उपभोग करते चले आ रहे थे और बाद में 01.01.2000 को किराये पर दिया गया। वादीगण ने वरविनाय रंजिश गलत व मनगढ़ंत तथ्य दर्ज करते हुये यह दावा दायर किया है। जब विवादित स्थल पर कोई चाहा ही नहीं था तो वहां से पानी लेने का एवं वंचित होने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता है। दावे की मालियत जानबूझकर कम दर्ज की गई है जबकि विवादित स्थल एवं उस पर निर्माण की मालियत करीबन पचास हजार रूपयें है इसलिए सर्वप्रथम इस मालियत पर न्यायशुल्क अदा किये बिना दावा हाजा चलने योग्य नहीं है। अतिरिक्त कथन में प्रतिवादी संख्या 1 ने जाहिर किया है कि मौके पर कथित विवादित स्थल पर कुंआ पूर्व में कभी नही रहा है और आज भी नही है एवं राजस्व अभिलेख में भी अंकित नहीं है। प्रतिवादीगण के बुजुर्गान की शिवजी खातेदारी की भूमि रिहायश मकानात एवं मंदिर हनुमान जी महाराज, महाराज का मंदिर बने हुए है और जो सार्वजनिक नहीं है। प्रतिवादीगण की मिलकियत के मंदिर में दर्शनार्थी बुजुर्गान के समय से पहले भी आते रहे है और आज भी आते है, लेकिन वादीगण का यह कहना सरासर गलत है कि विवादित स्थल पर सार्वजनिक कुंआ हो और मंदिर हनुमान जी महाराज और शिवजी महाराज का मंदिर सार्वजनिक हो अन्य किसी भी व्यक्ति से कोई संबंध व सरोकार किसी भी प्रकार का नहीं है और अन्य किसी का हित भी नही है। सही तथ्य इस प्रकार है कि वादी नम्बर 2 महीपाल एक लडाका खुखार व्यक्ति है जोकि अशांति में विश्वास रखता है एवं नाजायज गिरोह एवं पार्टी बना रखी है जिसने कि एक दावा प्रतिवादी के पिता पूरण प्रकाश के विरूद्ध करीब 3 साल पूर्व दायर किया था जो दावा महीपाल ने गलत तथ्यों का सहारा लेते हुए दायर किया जो वर्तमान में महीपाल बनाम पूरण प्रकाश से न्यायालय ए०सी०जे०एम०, नम्बर 2, अलवर में विचाराधीन है और वादी महीपाल प्रतिवादी की जायदाद को नाजायज

तौर पर हड़प करने की कोशिश में लगा हुआ है जिसमें प्रार्थनापत्र तंग व परेशान करने एवं दबाव डालने की वजह से यह दावा दायर किया है । प्रतिवादी संख्या 1 ने प्रार्थना की है कि वाद वादीगण मय हर्जा खर्चा सहित खारिज फरमाया जावे और प्रतिवादी को वादीगण 5,500/- रूपयें विशेष हर्जा दिलाया जावे।

4. इसी क्रम में अपीलार्थीगण/प्रतिवादी संख्या 3 व 4 की ओर से वादीगण के वादपत्र के खण्डनस्वरूपी जबाब दावा प्रस्तुत कर अभिकथन किया गया है कि वादीगण ने दावा गलत तथ्यों के आधार पर दायर किया है और कथित विवादित स्थल को गलत रूप से कुंआ की संज्ञा दी है जबकि मौके पर कोई कुंआ नहीं है और मंदिर हनुमानजी महाराज एवं शिवजी महाराज का किसी भी प्रकार से सार्वजनिक उपयोग एवं उपभोग नहीं किया जाता है। वादीगण का यह कहना गलत है कि कुंआ का निर्माण वादीगण अथवा भक्तगण के द्वारा कराया गया हो और हाल में 6-7 माह पूर्व विवादित सार्वजनिक स्थल हो। यह कहना गलत स्थल पर कमरा का निर्माण किया गया हो जबकि सही तथ्य इस प्रकार है कि प० पूरण प्रकाश शर्मा से इसी परिसर से बनी हुई दुकानों में से एक दुकान 1987 में प्रतिवादी नम्बर 3 ने 200 /- रूपये प्रतिमाह की दर से किराये पर ली थी और तभी से उक्त दुकान पर प्रतिवादी नम्बर 3 बहैसियत किरायेदार के काबिल चले आ रहे है और दुकान पर एसटीडी / पीसीओ एवं कोल्डड्रिंग्स का कार्य करते चले आ रहे है। चूंकि अपनी दुकान कारोबार में जगह की कमी के कारण माल रखने की तंगी होने के कारण वे प्रतिवादीगण स्व० पूरण प्रकाश शर्मा से गोदाम हेतु कमरा किराये पर देने का आग्रह किया तब उनके द्वारा प्रतिवादी का अनुरोध स्वीकार करके दिनांक 01.01.2000 को उक्त कथित विवादित स्थल पर बना हुआ कमरा को उनके द्वारा 150/- रूपयें माहवार किराये पर दिया और उसी दिन से प्रतिवादीगण उक्त कमरे को गोदाम के रूप में कार्य लेते चले आ रहे है और बहैसियत किरायेदार के मौके पर काबिज है और हर माहवारी किराया उनको अदा करते चले आ रहे है और उनके स्वर्गवास के बाद उनके पुत्र महेन्द्र प्रकाश शर्मा को माहवारी किराया अदा कर रहे है जिसकी किराया रसीदे प्राप्त की जा रही है और कथित विवादित स्थल पर यह कमरा

स्व० पूरण प्रकाश के द्वारा करीबन 15 साल पूर्व स्वयं ने अपने जीवनकाल में बनाया था और कमरा बनाने के उपरान्त से स्वयं रिहायश रखते थे। उक्त कमरे में प्रतिवादीगण ने कोरियर सेवा का भी कार्य किया हुआ है जो वर्तमान में चल रहा है। वादीगण का यह कहना गलत है कि निर्माण अवैध है । वादीगण आदेशात्मक व्यादेश से तुड़वाने के अधिकारी नहीं है। विशेष कथन में प्रतिवादीगण ने जाहिर किया है कि कथित विवादित स्थल पर कुंआ पूर्व में कभी भी नहीं रहा और आज भी नहीं है एवं उक्त विवादित स्थल पर बने हुए कमरे को करीबन पिछले तीन साल से बहैसियत किरायेदार के मौके पर उपयोग एवं उपभोग करते चले आ रहे है और नियमित माहवारी किराया अदा कर रहे है एवं उक्त कमरे के निर्माण को यदि ध्वस्त करने की आज्ञा पारित की जाती है तो प्रतिवादीगण बरबाद हो जायेंगा। प्रतिवादीगण बालबच्चेदार व्यक्ति है। प्रतिवादी नम्बर 1 के बुजुर्गान की खातेदारी की भूमि में मंदिर हनुमानजी महाराज व शिवजी महाराज बने हुए हैं और बुजुर्गान के समय से ही रिहायशी मकानात बने हुए है जो पहले स्व० पूरण प्रकाश की मिलकियत मकबूजा के थे और अब वर्तमान में प्रतिवादी नम्बर 2 की तन्हा मिलकियत मकबूजा के है जो सार्वजनिक नहीं है और सार्वजनिक रूप से अन्य किसी व्यक्ति ने कभी भी उपयोग उपभोग नहीं किया है। प्रतिवादी संख्या 3 व 4 ने वादीगण का वादपत्र मय हर्जा खर्चा खारिज किए जाने का न्यायालय से निवेदन किया है।

5. उभय पक्ष के अभिवचनों के आधार पर विचारण न्यायालय द्वारा निम्न विवाद्यक कायम किए गए-

(1) क्या हनुमान मंदिर थरेजा नर्सिंग होम के सामने सार्वजनिक चाह व कुंआ स्थित है ? --वादीगण

(2) क्या उक्त कुएं से वहां के वाशिंदगान निरन्तर पूर्व से ही पानी लेते रहे है ? --वादीगण

(3) क्या प्रतिवादीगण ने उक्त कुएं को पाट दिया है? --वादीगण

(4) क्या प्रतिवादीगण के विरूद्ध वादीगण आज्ञापक व स्थायी निषेधाज्ञा का अनुतोष प्राप्त करने के हकदार है, यदि हां तो किस कदर ? --वादीगण

(5) क्या सम्यक न्यायशुल्क अदा किया गया है ? --वादीगण

(6) क्या दावा अन्दर मियाद होकर इस न्यायालय के श्रवणाधिकार में है ? --वादीगण

(7) क्या दावा वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण पाषणीय नहीं होकर मय खर्चे के साथ खारिज किये जाने योग्य है, यदि हां तो किस कदर ? --प्रतिवादीगण

(8) अनुतोष ?

6. अपीलार्थीगण/वादीगण की ओर से अपने वादपत्र के समर्थन में मौखिक साक्ष्य में पी.ड.1 गजराज सिंह. पी.ड.2 महीपाल पी.ड.3 सुरेश चंद, पी.ड.4 शिम्भू सिंह एवं पी.ड.5 गुरू प्रसाद के सशपथ कथन लेखबद्ध करवाए तथा प्रलेखीय साक्ष्य में समाचारपत्र प्रदर्श-1 नकल बैयनामा प्रदर्श-2, नकल नक्शा प्रदर्श-3 व आदेश फोटो प्रति देवस्थान विभाग भरतपुर प्रदर्श-4, नकल बयनामा प्रदर्श-5, प्रपत्र संख्या-6 देवस्थान विभाग प्रदर्श 6, नक्शा प्रदर्श-7, सूची चल-अचल सम्पत्ति प्रदर्श- 8, विक्रयपत्र प्रदर्श- 9, नक्शा प्रदर्श-10, मौका कमिश्नर रिपोर्ट प्रदर्श-11 व नजरी नक्शा प्रदर्श-12 तक प्रलेखों को प्रदर्शित करवाया गया है। प्रतिवादीगण ने अपने पक्ष समर्थन में साक्षी डी. ड. 1 महेन्द्र प्रकाश उर्फ सोनू, डी.ड.2 हेम प्रकाश उर्फ मोनू डी. ड. 3 अजय प्रधान, डी. ड. 4 अनिल प्रधान, डी.ड.5 नवीन शर्मा व डी. ड. 6 दिनेश सिंह के सशपथ मौखिक कथन लेखबद्ध करवाए तथा प्रलेखीय साक्ष्य में प्रदर्श ए-1 लगायत प्रदर्श ए-13 रेवेन्यु रेकॉर्ड, प्रदर्श ए-14 दावा की सत्य प्रतिलिपि प्रलेखों को प्रदर्शित करवाया ।

7. विचारण न्यायालय द्वारा उभय पक्ष की बहस अंतिम सुनकर दिनाँक 07.03.2017 को निर्णय व डिक्री पारित कर असल रेस्पोडेंट/वादीगण का वाद आंशिक डिक्री किया गया, जिस निर्णय व डिक्री से व्यथित होकर अपीलांट/प्रतिवादीगण की ओर से हस्तगत अपील इस न्यायालय में पेश की गई है।

8. बहस अपील उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने उनकी तरफ से प्रस्तुत अपील मीमो में वर्णित तथ्यों को दोहराकर यह बताया है कि विचारण न्यायालय द्वारा पारित किया गया निर्णय पत्रावली पर उपलब्ध

वास्तविक तथ्यों से परे एवं विधि के सर्वथा विपरीत है। उनके द्वारा यह भी बताया गया है कि विवाद्यक संख्या 1 स्वामित्व से जुडा विवाद्यक रहा है जिसके निस्तारण के समय विचारण न्यायालय द्वारा किसी भी रेवेन्यु रिकार्ड या स्वामित्व संबंधी दस्तावेज का सही विवेचन नहीं किए जाने से गंभीर कानूनी त्रुटि कारित हुई है। उनके द्वारा यह भी बताया गया है कि जहां दस्तावेजी साक्ष्य मौजूद हो, वहां मौखिक साक्ष्य की महत्ता नहीं होती है। परंतु विचारण न्यायालय द्वारा मौखिक साक्ष्य को महत्व प्रदान कर विधिविरूद्ध निर्णय पारित किया गया है। उनके द्वारा यह भी बताया गया है कि अपीलांट/प्रतिवादीगण की ओर से प्रस्तुत किए गए दस्तावेजात के माध्यम से यह तथ्य पूर्णतया स्पष्ट करवाया गया कि मौके पर कोई कुआं विद्यमान नहीं रहा है। उनके द्वारा यह भी बताया गया कि प्रत्यर्थी/वादी पक्ष की ओर से पेश की गई साक्ष्य के माध्यम से भी यह तथ्य स्पष्ट नहीं करवाया जा सका है कि मौके पर सार्वजनिक चाह व कुआं स्थित हो रखा हो। परंतु इसके बावजूद भी विचारण न्यायालय द्वारा विवाद्यक संख्या 1 को प्रत्यर्थीगण/वादीगण के पक्ष में तय किया गया है जो कि सही निष्कर्ष नहीं है। उनके द्वारा यह भी बताया गया है कि विवाद्यक संख्या 2 व 3 भी प्रत्यर्थीगण/वादीगण के पक्ष में गलत रूप से तय हुए है क्योंकि जब मौके पर कोई कुआं विद्यमान ही नहीं था तो ऐसी स्थिति में प्रतिवादीगण द्वारा ऐसे किसी तथाकथित कुएं को बंद करने का सवाल ही नहीं उठता है। उनके द्वारा यह भी बताया गया है कि इस मामले में प्रत्यर्थीगण/वादीगण किसी भी प्रकार से प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थायी व आज्ञापक निषेधाज्ञा का अनुतोष प्राप्त करने के हकदार नहीं थे। फिर भी विवाद्यक संख्या 4 वादीगण के पक्ष में तय किया गया है जो कि पूर्णतया अनुचित निष्कर्ष है। उनका यह भी कथन रहा है कि विवाद्यक संख्या 5 व 6 का निर्णय प्रत्यर्थीगण/वादीगण के पक्ष में विचारण न्यायालय द्वारा बिना उचित विवेचन के तय किया गया है जो कि सही नहीं है। उनका यह भी कथन रहा है कि विवाद्यक संख्या 7 अपीलांट/प्रतिवादीगण के पक्ष में उनकी ओर से पेश की गई मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य के माध्यम से पर्याप्त रूप से साबित करवाया गया है। परंतु इसके बावजूद भी यह विवाद्यक

अपीलांट/प्रतिवादीगण के विरूद्ध तय किया गया है जो कि गलत निष्कर्ष निकाला गया है। उनका यह भी कथन रहा है कि प्रत्यर्थीगण/वादीगण की ओर से प्रस्तुत किया गया वादपत्र जनहित/प्रतिनिधित्व वाद के रूप में पेश किया गया था। परंतु इसे साबित करवाए जाने हेतु किसी भी स्वतंत्र साक्षी के बयान इस मामले में प्रत्यर्थीगण/वादीगण की ओर से लेखबद्ध नहीं करवाए गए है। जिसमें प्रत्यर्थीगण/वादीगण के अलावा अन्य कोई गवाह साक्ष्य हेतु उपस्थित नहीं आया है। गवाह कैलाश हितबद्ध गवाह रहा है। प्रत्यर्थीगण/वादीगण द्वारा गोदाम के नीचे कुआं होने की मनगढंत कहानी बनायी गई है। जबकि प्रत्यर्थीगण/वादीगण की ओर से ऐसा कोई ठोस व सक्षम दस्तावेज पेश नहीं किया गया जिससे कि विवादित स्थान पर कुआं मौजूद रहा होने का तथ्य लेशमात्र तौर पर भी साफ व स्पष्ट होता हो। उनका यह भी कथन रहा है कि प्रत्यर्थीगण/वादीगण की ओर से प्रस्तुत हुए साक्षीगण से की गई जिरह से भी वादपत्र में वर्णित तथ्यों का बखूबी रूप से खण्डन करवाया गया है। उनके द्वारा यह अपील स्वीकार किए जाने का निवेदन किया जाकर आलौच्य निर्णय व डिक्री को अपास्त किए जाने का निवेदन किया गया तथा साथ ही प्रत्यर्थीगण/वादीगण की ओर से प्रस्तुत किए गए वादपत्र को अस्वीकार कर खारिज किए जाने का निवेदन भी किया गया है।

9. जबकि इसके विपरीत विद्वान अधिवक्ता प्रत्यर्थीगण/वादीगण की ओर से बहस के दौरान यह बताया गया है कि उनकी तरफ से विचारण न्यायालय के समक्ष पेश की गई ठोस मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य के जरिए यह तथ्य बखूबी साबित करवाया गया है कि विवादित स्थल पर सार्वजनिक चाह व कुआं स्थित हो रखा है जिसे ही अपीलांट/प्रतिवादीगण ने बिना किसी अधिकार के बंद किया है। जिसे खुलवाए जाने का आदेश विचारण न्यायालय द्वारा उभयपक्षों को विधिवत सुनकर व उनकी तरफ से प्रस्तुत मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य के संबंध में किए गए समुचित विवेचन के उपरांत पारित कर अपीलांट/प्रतिवादीगण को उनके द्वारा गटर डालकर किए गए कमरे का निर्माण को तीन माह की अवधि में हटाकर पूर्व की स्थिति कायम करने एवं आइंदा इस कुएं पर किसी प्रकार का निर्माण जो

सुरक्षा की दृष्टि से आवश्यक हो, के अलावा नहीं करने व कुएं से पानी लेने व उपयोग उपभोग में रूकावट बाधा उत्पन्न नहीं करने हेतु पाबंद किया गया है जो कि पूर्णतया सही वास्तविक तथ्यों पर आधारित निर्णय है। उनके द्वारा यह भी बताया गया है कि प्रत्यर्थी/वादी पक्ष की ओर से पेश दस्तावेजात में कमिश्नर रिपोर्ट दिनांक 21.08.2003 प्रदर्श-11 व नक्शा प्रदर्श-12 से भी यह तथ्य बखूबी स्पष्ट होकर साबित हुआ है कि विवादित स्थल पर वादपत्र में वर्णित तथ्यों के अनुसार ही कुएं की मौजूदगी रही है जिसे ही अपीलांट/प्रतिवादीगण के द्वारा बिना किसी विधिक अधिकार के बंद किया गया है। जिसे खुलवाया जाना न्यायहित में अत्यावश्यक है। उनके द्वारा यह अपील अस्वीकार कर मय खर्चा खारिज करने का निवेदन किया गया तथा साथ ही विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री की पुष्टि किए जाने का निवेदन भी किया गया है।

10. सुना गया। प्रस्तुत तर्कों पर सावधानीपूर्वक विचार मनन किया गया। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन/अध्ययन किया गया। इस न्यायालय के द्वारा हस्तगत प्रकरण का विवाद्यकवार विवेचन व निष्कर्ष निम्नानुसार रूप में पारित किया जा रहा है-

विवाद्यक संख्या 1, 2 व 3

11. इन विवाद्यकों को साबित करवाए जाने का भार वादीगण पर अधिरोपित रहा है। जिनके माध्यम से वादीगण को यह तथ्य साबित करवाए जाने हेतु रहे हैं कि "क्या हनुमान मंदिर थरेजा नर्सिंग होम के सामने सार्वजनिक चाह व कुआं स्थित है?", "क्या उक्त कुएं से वहां के वाशिंदगान निरन्तर पूर्व से ही पानी लेते रहे है?, "क्या प्रतिवादीगण ने उक्त कुएं को पाट दिया है?" चूंकि उक्त तीनों ही विवाद्यक वस्तुतः एक दूसरे से परस्पर संबंधित रहे हैं जिससे तथ्यों की पुनरावृति से निवारित रहने हेतु इन तीनों ही विवाद्यकों के संबंध में विवेचन एक साथ कर इनके संबंध में साथ-साथ ही निष्कर्ष पारित किया जा रहा है। हस्तगत प्रकरण में वादीगण की ओर से प्रस्तुत किए गए वादपत्र का अवलोकन किया जावे तो यह प्रकट आया है कि वादपत्र की चरण संख्या 1 में यह तथ्य अभिकथित किए गए है कि विवादित स्थल चाह शहर अलवर थरेजा नर्सिंग होम के सामने,

अलवर मंदिर श्री हनुमानजी महाराज के पास वाकै है जो चाह विवादित है व हम वादीगण चाह मुतनाजा के आसपास रहते है व हनुमानजी, शिवजी महाराज के हम भक्तगण है, मैं व अन्य वादीगण मौहल्ले का व आम भक्तगणों का प्रतिनिधित्व करते है व आसपास के लोगो व अलवर शहर के लोगों व भक्तगण जो हनुमान जी मंदिर व शिवजी मंदिर में आते जाते है व विवादित कुआं से पानी लेकर हाथ मुंह धोकर, नहाकर पाठपूजा करते थे व अपने अपने घरो में चाह मुतनाजा से आवश्यकता पडने पर पानी ले जाते थे। आगे कथन किए गए हैं कि समस्त वासिन्दगान मौहल्ला को पक्षकारान बनाया तो पक्षकारान को काफी असुविधा होगी जिसमें मौजूदा दावा वादीगण की ओर से पेश किया जाता है। विवादित चाह की हदूद अर्बा वादपत्र के पैरा संख्या 2 में वर्णित है। वादपत्र की चरण संख्या 2 में आगे यह वर्णन किया गया है कि विवादित चाह का निर्माण मंदिर हनुमानजी महाराज व शिवजी महाराज के भक्तगण व आसपास (वादीगण) के बुजुर्गान व अन्य व्यक्तियों ने मंदिर में पूजा अर्चना हाथ मुंह धोकर व स्नान करने बाबत कराया है जो भक्तगण व आम आदमी चाह मुतनाजा से पानी खेंचकर उसका उपयोग व उपभोग करते थे व कुंआ पर हमेशा लेजू (रस्सी) व बालटी पड़ी रहती थी जो कुंआ का उपयोग सभी लोग करते आ रहे थे व आसपास के लोग घर के लिये पानी भी ले जाते थे जो चाह मुतनाजा सार्वजनिक विवादित है। वादपत्र में आगे बताया गया है कि प्रतिवादीगण ने दावा दायर करने से 6-7 माह पूर्व विवादित चाह सार्वजनिक पर गटर लोहे की लगाकर पाट दिया है व उस चाह मुतनाजा पर कमरे का निर्माण कर लिया व मना करने पर आमदा दंगा फिसाद किया जिसकी सूचना नगर विकास न्यास, अलवर व नगर परिषद, अलवर को दी गई, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं की। उक्त निर्माण प्रतिवादीगण ने कानून को खुद हाथ में लेकर बिना मंजूरी किया है जिसको आदेशात्मक आदेश से तुड़वाना अतिआवश्यक है। कुंआ आज भी मौजूद है व बहुत अच्छा पानी है जो आसपास के लोग व भक्तगण के काम में आता था, जो प्रतिवादीगण ने 6-7 माह पूर्व उपर से कुएं में गटर लगाकर पटाव कर दिया है व कुआं के उपर कमरे का अवैध रूप से बिना मंजूरी निर्माण किया है। जिसका प्रतिवादीगण

को कोई हक हासिल नहीं था। तारीख 07.08.2003 को प्रतिवादीगण ने जो चाह पर निर्माण किया था, हटाने से साफ इन्कार कर दिया है।

12. हस्तगत प्रकरण में वादी पक्ष की ओर से पेश कर परीक्षित करवाए गए गवाह पी.ड.1 गजराज सिंह के द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा की साक्ष्य में वादपत्र में वर्णित अनुसार उपरोक्त कथनों के साथ ही यह भी बताया है कि प्रतिवादीगण द्वारा चाह पर निर्माण कर लेने से उसे व दीगर वादीगण को व आसपास के लोगो को व भक्तगणों को काफी असुविधा हो गई है व भक्तगण को कुंआ पाट देने से पानी नहीं मिलता है व वाशिंदगान मौहल्ला को भी कुंआ मुतनाजा पाट देने से पानी नहीं मिलता है। उक्तानुसार दौराने साक्ष्य एवं वादपत्र में तथ्य वर्णित किए जाकर प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थायी एवं आज्ञापक प्रकृति की निषेधाज्ञा जारी करवायी जाना भी चाही गई है। गवाह पी.ड.1 गजराज सिंह की साक्ष्य की मुख्य परीक्षा में किए गए मौखिक कथनों के समर्थन स्वरूप में दस्तावेजी साक्ष्य के तौर पर प्रदर्श-1 लगायत प्रदर्श-12 तक समाचारपत्र, नकल बयनामा, नकल नक्शा, आदेश प्रति देवस्थान विभाग भरतपुर, नकल बयनामा प्रपत्र संख्या 6 देवस्थान विभाग, नक्शा, सूची चल अचल संपति, विक्रयपत्र, नक्शा मौका कमिश्नर रिपोर्ट व नजरी नक्शा कमिश्नर आदि दस्तावेजात पेश कर प्रदर्शित करवाए गए है। प्रतिवादी पक्ष द्वारा की गई जिरह में गवाह पी.ड.1 गजराज सिंह यह कथन करता है कि कुआं पहले से है। पुजारी महेन्द्र ने कुएं को गटर डालकर बंद कराया है। मौके पर कुएं के उपर दुकान बना रखी है। कुआं पुजारी का नहीं था। सार्वजनिक था। गवाह जिरह में यह भी कथन करता है कि कुएं के सार्वजनिक होने बाबत दस्तावेज पत्रावली पर पेश कर रखे है। साथ ही इसी संबंध में गवाह आगे कथन करता है कि महेन्द्र पुजारी है, मालिक नहीं है। यह सही है कि विवादित जगह के पास ही प्रतिवादी की रिहायश है और वहीं रहता है। इसकी मां, स्वयं व पत्नी रहते है। गवाह जिरह में आगे कथन करता है कि यह गलत है कि दोनों मंदिर सार्वजनिक नहीं हो, बल्कि सार्वजनिक है। उसे जानकारी नहीं है कि 01.01.2000 को प्रतिवादी महेन्द्र ने अजय प्रधान को 150/- रूपये प्रतिमाह किराये पर दिया हो। यह सही है कि अशोक प्रधान व अजय प्रधान को भी उसी परिसर में से किराये पर दे

रखी है। विवादित जगह पर कमरा बना है, उसे अशोक प्रधान व अजय प्रधान उपयोग में लेते है। साथ ही यह कथन करता है कि यह गलत है कि वहां पहले भी कुआं नहीं हो। मंदिर पर, कुएं पर नहाने धोने, पानी चढाने हजारों लोग आते है जिनका नाम नहीं जानता। साथ ही जिरह में यह गवाह कथन करता है कि विवादित जगह के उपर जो कमरा बना है उसे अजय प्रधान गोदाम के रूप में किराये पर लेते है। इस प्रकार, यह प्रकट है कि गवाह पी.ड.1 गजराज सिंह से की गई जिरह से भी यह तथ्य प्रथमदृष्टया उजागर हुआ है कि विवादित स्थल पर वादपत्र में वर्णित तथ्यों के अनुसार कुआं या सार्वजनिक चाह की मौजूदगी रही है।

13. इसी संबंध में गवाह पी.ड.2 महीपाल की साक्ष्य का अवलोकन किया जावे तो यह प्रकट आया है कि इस गवाह ने भी पूर्ववर्ती गवाह की भांति ही वादपत्र में वर्णित तथ्यों के समर्थन के अनुक्रम में अपनी मुख्य परीक्षा की साक्ष्य प्रदान की है। प्रतिवादी पक्ष द्वारा की गई जिरह में गवाह पी.ड.2 महिपाल के द्वारा यह कथन किए गए हैं कि सुरेश कुमार, वादी नम्बर 4 मेरा दूर का भाई है। यह कहना सही है कि गजराज, सुरेश व कैलाश का वहां विवादित स्थल पर निवास नहीं है, परन्तु कैलाश की वहां दुकान है। गवाह आगे कथन करता है कि वह वह विवादित स्थल पर ही रहता है। यह सही है कि मंदिर की एक दुकान मेरे पास किराये पर मौजूद है। वह किराया मंदिर के पुजारी महेन्द्र प्रकाश पुत्र पूरण प्रकाश को देता है। मंदिर की सभी 6 दुकानें किराये पर दी हुई है। यह सही है कि उन दुकानों में से एक दुकान अशोक प्रधान व अजय प्रधान को किराये पर दी हुई है। विवादित स्थल पर बने कमरे को वह खोलते व बंद करते हुए अशोक प्रधान व अजय प्रधन को देखता है। गवाह ने जिरह में आगे बताया है कि यह बात सही है कि विवादित स्थल पर हनुमानजी व शिवजी का मंदिर है, इन मंदिरों की पूजा, प्रतिवादी महेन्द्र प्रकाश के पिता पूरण प्रकाश करते थे अब पूजा महेन्द्र व उसका भाई करता है। यह भी सही है कि एक साइड में महेन्द्र व उसका परिवार मंदिर में रहता है। गवाह ने जिरह में आगे बताया है कि उसे महेन्द्र के बुजुर्गों के बारे में पता नहीं है कि यह मंदिर व दुकानें उसके बुजुर्गो की खातेदारी में बनी हो। वह महेन्द्र प्रकाश को ही मंदिर व दुकानों

का मालिक के रूप में देखता है जिनको वह किराया देते है। गवाह ने जिरह में आगे बताया है कि यह सही बात है कि मंदिर व मंदिर में बनी दुकानों से उसका कोई लेना देना नहीं है, वह एक मात्र किरायेदार है। यह कहना गलत है कि मंदिर पर मौके पर कोई कुंआ नहीं है, बल्कि वहां कुंआ मौजूद है। गवाह ने जिरह में आगे बताया है कि उसने जब से होश संभाला है तभी से वहां कुंआ देखता आ रहा है। उसे नहीं पता कि कुंआ का निर्माण किसने कराया। कुंआ उसके पैदा होने से पहले का बना हुआ है। कुएं की गहराई कितनी है, वह नहीं बता सकता। मंदिर, सार्वजनिक मंदिर है। मंदिर को सार्वजनिक वह इस आधार पर बता सकता है कि उसका रजिस्ट्रेशन हो चुका है और कागजात कोर्ट में पेश है। गवाह ने जिरह में आगे बताया है कि यह कहना गलत है कि कुंए वाली गजह पर 15 साल पहले दुकान् बना कर अशोक प्रधान, अजय प्रधान को दी गई है, बल्कि दुकान तो अब बनायी गयी है। वह सन् 80 से पहले से दुकान का किरायेदार है। गवाह जिरह में आगे बताता है कि न्यायालय में हमने केवल नक्शा पेश किया है व यूआईटी ने नक्शे में कुंआ दर्शाया गया है, अन्य कोई दस्तावेज कुंआ होने बाबत पेश नहीं किया है। उसका मकान कुंए से 7 फुट 9 इंच की दूरी पर है। विवादित स्थल पर जो कमरा अशोक प्रधान के पास है उसे पूरण ने सन् 2003 में 8 वें महिने में बनाया था। यह सही है कि खसरा गिरदावरी प्रदर्श ए 1 संवत् 2059 में कोई कुंआ नहीं दिखाया गया है, परन्तु वहां पर कुंआ मौजूद है। यही सही है कि इस समय वहां कुएं पर लेन्टर डाल दिया गया है जिससे कुंआ दिखाई नहीं देता है। गवाह ने आगे बताया है कि यदि वहां खोदा जाये तो कुंआ निकल आयेगा। इस प्रकार से देखा जावे तो यद्यपि गवाह महीपाल के द्वारा प्रतिवादी पक्ष की ओर से पेश किए गए दस्तावेजात प्रदर्श ए 1 व प्रदर्श ए 2 खसरा गिरदावरी व मिलान क्षेत्रफल में कुआं नहीं दिखाया गया होना यह गवाह कथन भी करता है परंतु साथ ही यह भी कथन करता है कि मौके पर कुआं मौजूद है तथा यदि वहां खोदा जाए तो कुआं निकल आयेगा। यदि इसी प्रक्रम पर गवाह पी.ड.1 की साक्ष्य के दौरान प्रस्तुत हुए दस्तावेजात में से प्रदर्श 11 कमिश्नर रिपोर्ट का अवलोकन करे तो इसमें वर्णित बिन्दु संख्या 4 में यह तथ्य वर्णित किए गए हैं कि

नक्शे में प्रदर्श आई से जे स्थान पर पानी निकालने की होदी बनी हुई है जो बाहर सरकारी सडक के बगल में पटरी तक बनी हुई है। यदि इसी अनुसरण में प्रदर्श-12 नजरी नक्शा कमिश्नर का अवलोकन करे तो इसमें मार्क ए से विवादित स्थल को दर्शाया जाकर इस स्थान को गोलनुमा आकार में मार्क सी, बी, आई, ई, डी इत्यादि से दर्शाया जाकर इससे आगे दक्षिणी तरफ पानी निकालने की नाली भी बनी होना प्रदर्श-12 नक्शा मौका से प्रकट आयी है। इसी अनुसार वादीपक्ष की ओर से प्रस्तुत अन्य साक्ष्य का अवलोकन कर विश्लेषण किया जावे तो इसमें गवाह पी.ड.3 सुरेश, गवाह पी.ड.4 शिंभू सिंह एवं गवाह पी.ड.5 गुरू प्रसाद के बयान वादी पक्ष की ओर से लेखबद्ध करवाए जाने प्रकट आए है जिनमें उक्त वर्णित गवाहान ने अपनी मुख्य परीक्षा की सशपथ साक्ष्य में वादपत्र में वर्णित तथ्यों के अनुसार एवं पूर्ववर्ती गवाहन के द्वारा दी गई साक्ष्य के समकक्ष कथन किए है। जिनमें से गवाह पी.ड.3 सुरेश ने यद्यपि प्रतिवादी पक्ष द्वारा की गई जिरह में यह कथन किए है कि उसकी निजी जानकारी में ऐसा कोई अभिलेख नहीं है कि विवादित जगह पर कुआं हो। उसने कुएं में से पानी काम में लिया है, तारीख, सन, संवत याद नहीं है। वर्तमान में कुएं के उपर कमरा बना हुआ है, इत्यादि। गवाह पी.ड.4 शिंभू सिंह अपनी जिरह में यह कथन करता है कि कुएं का निर्माण उसके सामने नहीं हुआ ना ही कुएं से संबंधित कोई कागज या रिकार्ड देखा है। यह सही है कि वादी गजराज का मंदिर में मकान व दुकान नहीं है। कोई लेना देना नहीं है। मंदिर में केवल आता जाता है। इस प्रकार गवाह पी.ड.5 गुरू प्रसाद अपनी जिरह में यह कथन करता है कि मंदिर में कुआं होने बाबत उसने कोई दस्तावेज नहीं देखा। कुआं बनाने में कितना खर्चा आया, पता नहीं। वर्तमान में मंदिर में पटा हुआ कुआं है। कुएं पर गोल टाईप कोठडी बनी हुई है जिसे पुजारी महेन्द्र प्रकाश खोलता है, कभी अजय प्रधान खोलता है। इसी संबंध में आगे प्रतिवादी पक्ष की ओर से पेश की गई साक्ष्य में गवाह डी.ड.1 महेन्द्र प्रकाश उर्फ सोनू के द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा की साक्ष्य में यह कथन किए गए है कि विवादित स्थल पर स्थित कुआं सार्वजनिक नहीं है, जो मंदिर का है। जिसका उपयोग मंदिर में पूजा अर्चना में किया जाता है। कुएं का उल्लेख

राजस्व अभिलेख में भी नहीं है। गवाह आगे कथन करता है कि हम प्रतिवादीगण के पिता द्वारा यह मंदिर मेहनत मजदूरी कर विकास किया है व कुएं का निर्माण भी उन्होंने स्वयं ने मंदिर के उपयोग के लिए किया है। जिसका किसी व्यक्ति विशेष से संबंध नहीं है। मंदिर देवस्थान विभाग से पंजीकृत कराया हुआ है। जिसके आधार पर प्रतिवादीगण मंदिर के मुख्य प्रन्यासी के रूप में हेमप्रकाश उर्फ मोनू नियुक्त है। जिसमें किसी व्यक्ति को कोई ऐतराज नहीं है, इत्यादि। तत्पश्चात गवाह डी.ड.1 महेन्द्र शर्मा अपनी जिरह में यह कथन करता है कि नक्शा प्रदर्श-3 सही बना है। प्रदर्श-2 बयनामा सही है। साथ ही बताता है कि यह सही है कि विवादित स्थल पर कुआं बना है। यह भी सही है कि इस कुएं का निर्माण आमजन के सहयोग से हुआ है जिसका उपयोग आस पास के लोग पानी भरने, मंदिर में पूजा अर्चना करने व मंदिर में भण्डारे में होता था। साथ ही जिरह में यह गवाह आगे बताता है कि यह सही है कि सन 2003 में कुएं को गाटर लगाकर पाट दिया था तथा उस पर कमरे का निर्माण कर दिया। प्रधान वगैरा ने हमको बहकाकर कुएं को पटवा दिया था तथा कमरे का निर्माण करवा दिया था। जिसे वह गोदाम के रूप में काम में लेता है। उसका वह कोई किराया भी नहीं देता। यह गवाह जिरह में आगे बताता है कि यह सही है कि कुएं का पटाव अवैध रूप से किया है। प्रधान मौके पर मजबूत है, उसने हम लोगों पर दबाव डालकर सारी नाजायज कार्यवाही करायी है। कुएं में आज भी पानी है जिसमें बोरिंग भी करायी हुई है। गवाह आगे यह भी बताता है कि यह सही है कि वादीगण ने व आम लोगों ने हमसे कुएं के उपर अवैध निर्माण को तोडने के लिए कई बार कहा परंतु प्रधान ने नहीं तोडने दिया जो अशोक प्रधान, अजय प्रधान व अनिल प्रधान है। अगर अवैध निर्माण हटे तो कुएं को आम लोग उपयोग उपभोग में ले सकेंगे। जिरह के दौरान गवाह डी.ड.1 महेन्द्र प्रकाश ने अन्य प्रतिवादीगण की ओर से हुई जिरह में यह बताया है कि मंदिर व उसमें बनी दुकाने उसके पिता की खातेदारी की जमीन में बनी हुई है। प्रदर्श ए1, ए2, ए5, ए13 में कुएं के संबंध में कोई लेख नहीं होना, मंदिर के ट्रस्ट के विधान में कुआं दर्ज नहीं किया जाना गवाह जिरह में बताता है। साथ ही कथन करता है कि विवादित स्थल पर

बनी दुकानों का किराया हम दोनों भाई लेते है। उसके पास ऐसा दस्तावेज नहीं है जिससे कि विवादित स्थल पर कुआं बना होना साबित कर सके। प्रतिवादी पक्ष की ओर से प्रस्तुत/परीक्षित कराए गए गवाह डी.ड.2 हेमप्रकाश उर्फ मोनू के द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा की साक्ष्य में जवाब दावे के कथनों को दोहराया जाकर अपनी जिरह में प्रदर्श-2 बयनामा व नक्शा प्रदर्श-3 को सही होना, विवादित स्थल पर आमजन के सहयोग से कुआं बनाया गया होना बताया गया है। साथ ही कथन करता है कि सन 2003 में कुएं पर गाटर लगाकर उसको पाट दिया था व उस पर अवैध रूप से कमरे का निर्माण कर दिया था। यह सही है कि अशोक प्रधान, अनिल व अजय प्रधान बहकाकर कुएं को पटवाकर उस पर कमरे का अवैध निर्माण करा दिया। यह सही है कि कुएं में पानी मीठा था तथा आज भी मीठा पानी है। यदि अवैध निर्माण हट जाए तो आमजन उसका उपयोग उपभोग कर सकेंगे। प्रधान वगैरा ना ही किराया देते है ना ही अवैध निर्माण को तोडने देते है। साथ ही यह गवाह जिरह में कथन करता है कि यह सही है कि पत्रावली में पेश जवाबदावा उन्होंने प्रधान वगैरा के कहने से गलत पेश किया था। इसी अनुसरण में गवाह डी.ड.1 महेन्द्र शर्मा के द्वारा प्रतिवादी संख्या 3,4 की ओर से हुई जिरह में यह बताया गया है कि मन्दिर व उसमें बनी दुकानें उसके पिता की खातेदारी की जमीन में बनी हुई है। वह निश्चित रूप से नहीं बता सकता कि किस रेवन्यू रिकार्ड में कुआं होना दर्ज है। गवाह आगे जिरह में प्रदर्श ए1 लगायत प्रदर्श ए13 तक के रेवन्यू रिकार्ड से संबंधित दस्तावेजात में कुआं दर्ज नहीं होना बताता है। साथ ही यह भी कथन करता है कि उसके पास आज ऐसा कोई दस्तावेज नहीं कि जिससे यह साबित कर सके कि विवादित स्थल पर कुआं बना हुआ हो। यह सही है कि वह अजय प्रधान से दुकान व कमरा खाली करवाना चाहता है इसलिए इस मुकदमे में वादी के पक्ष में बयान दिए है, इत्यादि। इसी प्रकार, गवाह हेमप्रकाश ने अन्य प्रतिवादीगण की ओर से की गई जिरह में यह बताया है कि उसे नहीं पता कि हनुमानजी व शिवजी का मंदिर कब बना था। यह सही है कि मंदिर ट्रस्ट बनने से पहले खातेदारी की जमीन पर बना था। यह जमीन उनके बुजुर्गों की थी। यह सही है कि अशोक

प्रधान को उसके बुजुर्गों ने एक दुकान किराये पर दे रखी है। मौके पर कोई कुआं नहीं है, क्योंकि कुएं को पाट दिया है। साथ ही गवाह आगे कथन करता है कि जवाब दावे पर हस्ताक्षर ए से बी मेरी माता के है जो प्रधान बंधु ने धोखे से करवाए है। यह सही है कि हम अशोक प्रधान से किरायेशुदा कमरे व मकान को खाली कराना चाहते है। यद्यपि गवाह हेमप्रकाश अपनी जिरह में यह भी कथन करता है कि यह सही है कि पत्रावली पर ऐसा कोई दस्तावेज नहीं है जिसमें कुआं दर्शा रखा है। यह सही है कि प्रदर्श ए 1 लगायत प्रदर्श ए 13 रेवेन्यू रिकार्ड में किसी भी रिकार्ड में कुआं नहीं दर्शाया गया है। यह सही है कि जवाब दावा में कुआं नहीं होने के कथन किए है, इत्यादि। इस प्रकार गवाहान महेन्द्र शर्मा व हेमप्रकाश उपरोक्तानुसार कथन करके यह तथ्य प्रकट करते हैं कि प्रतिवादी पक्ष की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजात से यह स्पष्ट नहीं होता है कि विवादित स्थल पर कुआं बना हो। जबकि उक्त दोनों ही गवाहान ने अपनी पूर्ववर्ती जिरह में स्पष्ट तौर पर उपरोक्तानुसार कथन करके विवादित स्थल पर कुआं बना होना व इसी अनुसार तमाम कथन कर वादपत्र के तथ्यों को पूर्ण सही होना बताया है। हस्तगत प्रकरण में अपीलार्थी पक्ष की तरफ से की गई बहस के दौरान यह तर्क भी पुरजोर तरीके से पेश किया गया है कि विचारण न्यायालय के द्वारा प्रतिवादी पक्ष की तरफ से प्रस्तुत अकाटय दस्तावेजी साक्ष्य रेवन्यू रिकार्ड की बजाय मौखिक साक्ष्य को अधिक महत्व प्रदान कर मौके पर कुआं मौजूद होने का निष्कर्ष गलत निकाला है। इसी परिप्रेक्ष्य में यह विवेचन समुचित प्रतीत होता है कि वादी साक्षीगण के साथ उपरोक्त वर्णित गवाहान के द्वारा प्रदान की गई साक्ष्य का युक्तियुक्त समर्थन वादी पक्ष की तरफ से प्रस्तुत उपरोक्त वर्णित व विवेचन की गई दस्तावेजी साक्ष्य से जहां बखूबी तौर पर हुआ होना प्रकट आया है, वहीं साथ ही प्रतिवादी पक्ष की तरफ से प्रस्तुत जवाब वादपत्र के तथ्यों का खण्डन भी हुआ होना प्रकट आया है जिससे प्रतिवादी संख्या 3 व 4 की तरफ से उक्त वर्णित प्रतिवादी साक्षीगण से की गई जिरह से ऐसी स्थिति प्रत्यक्ष तौर पर भौतिकतः प्रकट नहीं लायी जा सकी है जिससे कि वादी पक्ष द्वारा विवादित स्थल पर कुआं मौजूद होने बाबत तथ्यों का खण्डन होता हो।

14. इसी क्रम में प्रतिवादी पक्ष की ओर से पेश कर परीक्षित कराए गए गवाह डी.ड.3 अजय प्रधान के द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा की सशपथ साक्ष्य में वादपत्र में वर्णित तथ्यों के खण्डन स्वरूपी कथन कर विवादित स्थल पर कोई सार्वजनिक कुआं नहीं होना बताते हुए कमरा बना होना एवं इसे स्वयं द्वारा किराये पर ले रखा होना इत्यादि कथन गवाह ने अपनी मुख्य परीक्षा की सशपथ साक्ष्य में किए है। साथ ही गवाह अजय प्रधान के द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा के मौखिक साक्ष्य के समर्थन के क्रम में प्रदर्श ए1 लगायत प्रदर्श ए14 तक दस्तावेजात पेश किए गए है। जिनमें नक्शा, मिलान क्षेत्रफल, खसरा गिरदावरी, जमाबंदी, नक्शा ट्रेस, सत्यप्रतिलिपि प्रार्थना पत्र किराया अधिकरण अलवर इत्यादि दस्तावेजात प्रस्तुत हुए है। जिनके माध्यम से प्रतिवादी पक्ष की ओर से यह तथ्य प्रकट लाया जाने का प्रयास किया गया है कि विवादित स्थल पर किसी प्रकार का कुआं मौजूद नहीं रहा है। परंतु जिरह के दौरान गवाह अजय प्रधान प्रदर्श 1 के बारे में जानकारी नहीं होना, प्रदर्श 3 नक्शा मौके के अनुसार नहीं बना होना, प्रदर्श 6 व 7 की जानकारी नहीं होना यह गवाह कथन करता है। साथ ही प्रदर्श 7 में मंदिर, बरामदा, शिवालय, आगे सडक पर दुकानें बनी होना कथन कर मार्क ए, बी का पता नहीं होना कथन करता है। साथ ही बताता है कि मार्क सी नक्शे में कुआं नहीं है, कमरा बना है जो हमारे पास है। प्रदर्श 9 विक्रय पत्र स्वयं की जानकारी में नहीं होना गवाह कथन करता है तथा आगे बताता है कि प्रदर्श 10 में मार्क एक्स से कुआं दिखाया गया है। साथ ही कथन करता है कि उसे पता नहीं कि किसी विवादित कुएं पर कमरा बनाया है। जिस समय कमिश्नर गया था, उस समय विवादित कमरे का कब्जा हमारे पास था। उसकी चाबी भी हमारे पास थी। साथ ही कथन करता है कि प्रदर्श 11 का ए से बी भाग कमिश्नर ने गलत लिखा है। कमिश्नर रिपोर्ट में चाबी मांगने वाली बात गलत लिखी है। प्रदर्श 12 कमिश्नर रिपोर्ट का नक्शा हो तो उसे नहीं पता। प्रदर्श 12 नक्शा उसे समझ नहीं आ रहा है। कुएं पर बनाया कमरा मार्क एक्स हो तो उसे पता नहीं। प्रदर्श 12 में वाई शिवजी का मंदिर उसे समझ नहीं आ रहा, परंतु साथ ही यह गवाह उससे वादी पक्ष द्वारा की गई जिरह में आगे कथन करता है कि प्रदर्श 12 में मार्क जेड

दुकान हमारे पास ही है। मार्क पी दुकान महीपाल वादी की दुकान है। मार्क क्यू मंदिर हनुमान जी की मूर्ति है। प्रदर्श 12 नक्शे के संबंध में गवाह अजय प्रधान की ओर से किए गए उक्त कथनों से यह प्रकट है कि इस गवाह ने केवल उन्हीं प्रश्नों के प्रत्युत्तर सकारात्मक प्रदान किए है जो कि प्रत्यक्षतः प्रतिवादी पक्ष के लाभार्थ संबंधित हुए हो तथा अन्य सवालों के जवाब इस गवाह ने जिस प्रकार से पता नहीं होना कथन किए है, इससे यह प्रकट है कि गवाह ने जान बूझकर प्रदर्श 12 नक्शे इत्यादि दस्तावेजात में दर्शायी स्थितियों को उक्तानुसार येन केन छिपाने का प्रयास किया है। साथ ही यह गवाह अपनी जिरह में यद्यपि इस बात को गलत होना बताता है कि उसने विवादित कमरा पर जबरदस्ती कब्जा करा रखा हो और विवादित कमरा उनके पास किराये पर नहीं हो। परंतु साथ ही इसी बाबत यह भी कथन करता है कि उसे जानकारी नहीं है कि पत्रावली पर किराये की रसीद पेश की है या नहीं। साथ ही यह भी कथन स्पष्ट रूप से करता है कि यह सही है कि पत्रावली पर किराये की रसीद पेश नहीं की है। गवाह इस बात को गलत होना कहता है कि सन 2003 में उन्होंने प्रतिवादी संख्या 1 व 2 से मिलकर कुआं पाटकर कमरा बना दिया हो। यह उसकी जानकारी में नहीं है कि मंदिर के नीचे जो कुआं था, उसमें से लोग पानी निकाल कर हाथ पैर धोकर पूजा करते हो। उसे पता नही कि आम लोगों ने कमरे के निर्माण का विरोध किया या नहीं। हमने तो कमरा बनवा लिया। यह गलत है कि कुआं सार्वजनिक हो। साथ ही गवाह ने प्रतिवादी पक्ष की ओर से की गई जिरह में यह बताया है कि किराये की रसीद उसने महेन्द्र से प्राप्त नहीं की। दावे के साथ कोई रसीद पेश नहीं की। इसी अनुसार गवाह डी.ड.4 अनिल प्रधान के द्वारा भी पूर्ववर्ती गवाह की भांति ही अपनी मुख्य परीक्षा की साक्ष्य प्रदान किए जाने के उपरांत जिरह की साक्ष्य में यह गवाह कथन करता है कि प्रदर्श 1 व प्रदर्श 4 के बारे में उसे कोई जानकारी नहीं है। प्रदर्श 3 नक्शा उनके अनुसार नहीं बना है। यह किस संबंध में है, जानकारी नहीं हैं। प्रदर्श 6 व 7 के बारे में उसे जानकारी नहीं है। उसे जानकारी नहीं है कि जिस परिसर मंदिर हनुमानजी के विवादित कुआं है, वह देवस्थान विभाग में पंजीकृत है या नहीं। यह सही है कि प्रदर्श 7 में ए

व बी स्थान पर दुकानात है। प्रदर्श 9 व 10 दस्तावेजात की जानकारी नहीं होना, यह गवाह बताता है। प्रदर्श 10 नक्शा में एक्स स्थान पर कुआं दर्शाया हो तो उसे जानकारी नहीं होना कहता है। यह गलत है कि मंदिर परिसर में शुरू से ही कुआं बना हो तथा वह सार्वजनिक रूप से सभी के काम में आता है जिसे उन्होंने पाटकर कमरे का निर्माण कर दिया हो। इसके अतिरिक्त गवाह ने अन्य प्रतिवादीगण की ओर से की गई जिरह में यह कथन किए है कि उसे नहीं पता कि जो दुकान किराये पर महेन्द्र प्रकाश ने दी वह पुजारी की हैसियत से किराये पर दी हो। महेन्द्र प्रकाश किराया प्राप्ति की कोई रसीद देता था या नहीं, उसकी जानकारी में नहीं है। यह सही है कि किरायानामा पत्रावली पर उन्होंने पेश नहीं किया है, इत्यादि। तत्पश्चात गवाह डी.ड.5 नवीन शर्मा के द्वारा भी अपनी मुख्य परीक्षा की साक्ष्य में विवादित स्थल पर कोई कुआं नहीं होना कथन करते हुए दावा वादीगण झूठा किया जाना एवं विवादित स्थल पर एक कमरा पिछले 13-14 वर्षों से प्रतिवादीगण अजय व अनिल प्रधान के पास किराये पर होना जिसमें उनका कोल्डड्रिंक आदि रखना यह गवाह बताता है। जिरह में यह गवाह कथन करता है कि अशोक प्रधान की एक दुकान मंदिर के बाहर है यह दुकान पूरण प्रकाश पुजारी से 14-15 साल से किराये पर ले रखी है। इस दुकान के अलावा अशोक व अजय प्रधान के पास कोई दुकान नहीं है। यह गलत है कि विवादित कुआं वर्ष 2003 में पाटा गया हो। अन्य प्रतिवादीगण की जिरह में यह गवाह कथन करता है कि उसने पूरण प्रकाश से कोई दुकान किराये पर नहीं ले रखी है। विवादित स्थल को किस सन में देखा, याद नहीं है। कमरे व गोदाम का निर्माण होते नहीं देखा, इसके नीचे कुआं नहीं था, इत्यादि। तत्पश्चात मामले में प्रतिवादी पक्ष की ओर से गवाह डी.ड.6 दिनेश सिंह को पेश कर परीक्षित करवाया गया है जिसने अपनी मुख्य परीक्षा की सशपथ साक्ष्य पूर्ववर्ती गवाह नवीन शर्मा की भांति ही प्रदान की है। जिरह में यह गवाह कथन करता है कि अशोक प्रधान व अजय प्रधान की मंदिर के बाहर एक दुकान है। हनुमान जी के मंदिर में कब क्या-क्या बना, यह उसकी जानकारी में नहीं है। उसकी अनिल प्रधान से दोस्ती 15-20 साल से है। हनुमान जी के मंदिर के पास कुएं का पटाव

कब हुआ, जानकारी में नहीं है। उसे पता नहीं कि कुआं उसी खसरा नंबर का भाग हो जिसमें मंदिर बना हुआ है। वर्ष 2003 में मंदिर में कोई कार्य हुआ हो तो उसकी जानकारी में नहीं है। उसने मंदिर में कुआं देखा ही नहीं। प्रतिवादीगण की ओर से की गई जिरह में यह गवाह राजस्व रिकार्ड नहीं देखना, पूरण प्रकाश के परिवार के अलावा अन्य किसी व्यक्ति को मंदिर में पूजा अर्चना करते नहीं देखना कथन करता है। साथ् ही बताता है कि प्रधान ने ली हुई दुकान मंदिर से लगती हुई है। गवाह इस बात को सही होना कहता है कि यह सही है कि उसने मंदिर जाने से पूर्व कोई कुआं हो तो वह नहीं बता सकता। इस प्रकार प्रकरण में उभयपक्षों की ओर से प्रस्तुत हुई साक्ष्य के संबंध में विचारण न्यायालय द्वारा विवेचन किया जाकर पारित किए गए आलौच्य निर्णय में यह विवेचन किया गया है कि वादीगण विवादित कुएं के निर्माण व उपयोग, उपभोग को सार्वजनिक मानते है जिसका समर्थन स्वयं प्रतिवादी संख्या 1 व 2 करते है। प्रतिवादी संख्या 1 व 2 इस बात को स्वीकार करते है कि विवादित स्थल पर कुआ था जो कि आम लोगों के सहयोग से बनाया गया था जिसका उपयोग उपभोग आम लोगों द्वारा पानी भरने, पूजा अर्चना करने व मंदिर में होने वाले भण्डारे के लिए किया जाता था। साथ ही विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा किया गया यह विवेचन भी उपयुक्त प्रतीत होता है कि जब प्रतिवादी संख्या 1 व 2 जो कि निर्विवादित मंदिर की सेवा, पूजा, अर्चना करते चले आ रहे है व उनका परिवार मंदिर परिसर में रहता है। वे इस बात को स्वीकार करते है कि विवादित स्थल पर वर्तमान में कमरा बना हुआ है उसको यदि तोडकर नीचे कुएं की स्थिति को पूर्ववत कायम करा लिया जावे तो आमजन इसका उपयोग कर पाएंगे। जिसका खण्डन प्रतिवादी संख्या 3 व 4 कर सकने में असफल रहे है। प्रतिवादी संख्या 1 व 2 तथा प्रतिवादी संख्या 3 व 4 के मध्य किराये के संबंध में अन्य मुकदमे चल रहे है। जबकि यहां इस मामले में प्रतिवादी संख्या 3 व 4 को इस विशिष्ठ तथ्य का खण्डन करना था कि विवादित स्थल पर कुआं नहीं है। जबकि वादीगण को यह साबित करना था कि विवादित स्थल पर पूर्व में कुआं था जिस पर कमरे का निर्माण करवाया जाकर प्रतिवादी संख्या 3 व 4 इसका उपयोग उपभोग कर रहे है। हस्तगत

प्रकरण में वादी पक्ष वादपत्र में वर्णित तथ्यों व कथनों को प्रतिवादी संख्या 1 व 2 की तरफ से भी प्राप्त हुए समर्थन के जरिए विवादित स्थल पर पूर्व में कुआं होना जिसका उपयोग आमजन द्वारा किया जाना तथा इसी स्थान पर कमरे का निर्माण आदि करवाए जाने के तथ्यों को साबित करवाया जा सकने का निष्कर्ष भी विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा युक्तियुक्त तौर पर प्रदान किया गया है। जिसके संबंध में उपरोक्त की गई विस्तृत विवेचना के साथ ही उभयपक्षों की तरफ से प्रस्तुत हुई मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य के मार्फत वादी पक्ष की ओर से प्रस्तुत किए गए वादपत्र में वर्णित तथ्य जहां स्पष्ट होना प्रकट हुए है वहीं साथ ही यद्यपि प्रतिवादी पक्ष की ओर से प्रस्तुत की गई उक्त वर्णित दस्तावेजी साक्ष्य प्रदर्श ए1 लगायत प्रदर्श ए14 तक के राजस्व रिकार्ड यथा जमाबंदी, खसरा गिरदावरी, नक्शा, नक्शा ट्रेस इत्यादि के माध्यम से यह तथ्य प्रकट लाने का प्रयास किया गया है कि विवादित स्थल पर कोई कुआं स्थित नहीं हो रखा था। जबकि वादी पक्ष की ओर से प्रस्तुत की गई दस्तावेजी साक्ष्य प्रदर्श 1 लगायत प्रदर्श 12 तक के माध्यम से यह तथ्य प्रकट लाने का प्रयास किया गया है कि विवादित स्थल पर पूर्व में कुआं था जिसे पाटकर बंद कर दिया गया है और उस पर कमरे का निर्माण कर दिया गया था। जिस बाबत उपरोक्त तमाम विवेचनानुसार यह सुस्पष्ट हुआ है कि वादपत्र में वर्णितानुसार ही विवादित स्थल पर कुआं/सार्वजनिक चाह की मौजूदगी रही होकर इसी को बन्द कर प्रतिवादीगण द्वारा कमरे आदि का निर्माण कार्य करवाया गया तथा जिससे संबंधित अनुतोष ही वादी पक्ष वादपत्र के जरिए चाहकर आया है। उपरोक्त किए गए समग्र खुलासा विवेचन अनुसार यह कहा जाना न्यायसंगत पाया जाता है कि वादी पक्ष विवाद्यक संख्या 1 लगायत 3 में वर्णित तथ्यात्मक बिंदुओ एवं इसी संबंध में वादपत्र में वर्णित हुए तथ्यों व कथनों को उभयपक्षों की तरफ से पेश समस्त साक्ष्य के माध्यम से स्पष्ट कर स्थापित करवाए जा सकने में बखूबी तौर पर सफल रहे हैं। जिसके संबंध में ही विद्वान विचारण न्यायालय के द्वारा आलौच्य निर्णय में किया गया विवेचन किसी भी प्रकार से दोषयुक्त या त्रुटिपूर्ण रहा हो, ऐसी स्थिति भी किसी भी रूप में प्रकट नहीं आई है तथा विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा विवाद्यक

संख्या 1 लगायत 3 को निस्तारित किए जाने के दौरान किया गया विवेचन एवं पारित किया गया निष्कर्ष किसी भी प्रकार से तथ्यात्मक एवं विधिक तौर पर गलत या अनुचित नहीं पाया जाने से इसमें हस्तक्षेप की भी कोई गुजांइश या संभावना नहीं पायी जाती है। अतः उपरोक्त विवेचनानुसार विवाद्यक संख्या 1 लगायत 3 प्रत्यर्थीगण/वादीगण के पक्ष में तय कर निर्णीत किए जाते है।

विवाद्यक संख्या 4

15. इस विवाद्यक को साबित करवाये जाने का भार प्रत्यर्थीगण/वादीगण पर अधिरोपित किया गया जिसके माध्यम से वादीगण को यह तथ्य साबित करवाए जाने हैं कि "क्या प्रतिवादीगण के विरूद्ध वादीगण आज्ञापक व स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी है, यदि हां तो किस कदर?" चूंकि इस मामले में वादीगण विवाद्यक संख्या 1 लगा॰ 3 को अपने पक्ष में साबित करवाए जा सकने में सफल रहे है जिससे यह स्पष्ट होकर साबित हुआ है कि अपीलांट/प्रतिवादीगण द्वारा विवादित स्थल पर मौजूद रहे कुएं को पाटकर अवैध रूप से निर्माण कार्य किया गया जिसे हटाये जाने पर विवादित स्थल का पूर्व की भाति उपयोग, उपभोग संभव हो सकेगा अर्थात यह स्पष्ट है कि प्रत्यर्थीगण/वादीगण उनकी तरफ से प्रस्तुत किए गए वादपत्र में वर्णित सभी मुख्य तथ्यों को विरूद्ध अपीलांट/प्रतिवादीगण उक्तानुसार साबित करवाए जा सकने में चूंकि सफल रहे है जिससे इसी अनुसार प्रत्यर्थीगण/वादीगण इस मामले में अपीलांट/प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थायी व आज्ञापक प्रकृति की निषेधाज्ञा का अनुतोष प्राप्त करने के भी बखूबी हकदार बनना पाए जाते है। इस प्रकार विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा विवाद्यक संख्या 4 को प्रत्यर्थीगण/वादीगण द्वारा साबित करवाए जा सकने में सफल होना पाया जाना भी किसी भी प्रकार से त्रुटियुक्त निष्कर्ष होना प्रकट नहीं आया है। अतः विवाद्यक संख्या 4 प्रत्यर्थीगण/वादीगण के पक्ष में तय कर निर्णीत किया जाता है।

विवाद्यक संख्या 5 व 6

16. उक्त विवाद्यकों को साबित करवाए जाने का भार भी प्रत्यर्थीगण/वादीगण पर अधिरोपित किया गया है जिसके जरिए

प्रत्यर्थीगण/वादीगण को यह तथ्य साबित करवाया जाना था कि "क्या सम्यक न्यायशुल्क अदा किया गया है?" तथा "क्या दावा अन्दर मियाद होकर इस न्यायालय के श्रवणाधिकार में है?" विचारण न्यायालय द्वारा इन दोनों विवाद्यकों का निस्तारण सुविधा की दृष्टि से एक साथ किया गया है। जिसके संबंध में प्रथमतः यह विवेचन किया जाना उपयुक्त प्रतीत होता है कि उक्त दोनों विवाद्यकों को साबित करवाए जाने का जिम्मा वस्तुतः प्रतिवादी पक्ष पर अधिरोपित किया जाना चाहिए था, परंतु इसे वादीगण पर अधिरोपित किया गया है। यदि इसी के संबंध में प्रतिवादी पक्ष की ओर से प्रस्तुत किए गए जवाब दावे का अवलोकन करे तो प्रतिवादी संख्या 1 के द्वारा अपने जवाब वादपत्र में यह बताया गया है कि दावे की मालियत 400/- रूपये जानबूझकर कम दर्ज की गई है जबकि विवादित स्थल पर निर्माण की मालियत करीब 50,000/- रूपये है। यदि इसी के संबंध में पत्रावली पर प्रस्तुत हुई साक्ष्य का अवलोकन करे तो यह प्रकट आया है कि प्रतिवादी पक्ष की ओर से इस संबंध में किसी भी प्रकार की जवाबदावे के समर्थन में एवं वादपत्र के खण्डन में विशिष्ठ मौखिक या दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई है। साथ ही मियाद बिन्दु के बाबत भी प्रतिवादी पक्ष की तरफ से किसी प्रकार की साक्ष्य प्रस्तुति नहीं हुई है। जिससे ऐसी कोई स्थिति उत्पन्न नहीं हुई है कि वाद मामले में अपर्याप्त न्यायशुल्क अदा किया गया हो तथा साथ ही वाद मामला अंदर मियाद होकर इस न्यायालय के श्रवण अधिकार में नहीं रहा हो। जिससे विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा उक्त विवाद्यकों को बाद विवेचन वादीगण के पक्ष में तय किए जाने बाबत प्रदत्त निष्कर्ष भी विधिवत व सम्यक होना पाया जाता है। उक्तानुसार विवाद्यक संख्या 5 व 6 अपीलांट/प्रतिवादीगण के विरूद्ध, प्रत्यर्थीगण/ वादीगण के पक्ष में तय कर निर्णीत किए जाते है।

विवाद्यक संख्या *7*

17. इस विवाद्यक को साबित करवाए जाने का भार अपीलांट/प्रतिवादीगण पर अधिरोपित रहा है। जिसके माध्यम से यह तथ्य साबित करवाए जाने थे "क्या दावा वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण पोषणीय नहीं होकर मय खर्चे के साथ खारिज किए जाने योग्य है, यदि हां तो किस कदर?" इसी संबंध में यह

विवेचन किया जाना उपयुक्त है कि अपीलांट/प्रतिवादी पक्ष की ओर से इस बाबत किसी प्रकार की विशिष्ठ प्रकृति की साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की जा सकी है। जिससे हस्तगत विवाद्यक के तथ्यों को अपीलांट/प्रतिवादी पक्ष अपने पक्ष में साबित करवाए जा सकने में सफल नहीं रहा होकर विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा साक्ष्य के अभाव में यह विवाद्यक अपीलांट/प्रतिवादीगण के विरूद्ध सही तौर पर तय किया जाना प्रकट आया है। अतः विवाद्यक संख्या 7 अपीलांट/प्रतिवादीगण के विरूद्ध तय कर निर्णीत किया जाता है।

विवाद्यक संख्या 8- अनुतोष

18. चूंकि इस मामले में प्रत्यर्थीगण/वादीगण के पक्ष में विवाद्यक संख्या 1 लगायत 4 तय कर निर्णीत किए जा चुके हैं। जबकि अपीलांट/ प्रतिवादीगण अपने जिम्मे के विवाद्यक साबित करवाए जा सकने में सफल नहीं हुए है। जिससे प्रत्यर्थीगण/वादीगण का वाद विरूद्ध अपीलांट/ प्रतिवादीगण विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा डिक्री किए जाने योग्य बाबत पाए जाने का जो निष्कर्ष प्रदान किया गया है, वह पूर्णरूपेण समुचित एवं विधिसम्मत होना पाया जाने से यह कहा जाना पूर्णतया न्यायसंगत पाया जाता है कि अपीलांट/प्रतिवादीगण की ओर से प्रस्तुत की गई हस्तगत अपील अस्वीकार कर खारिज किए जाने योग्य पायी जाती है तथा विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित आलौच्य निर्णय एवं डिक्री दिनांक 07.03.2017 पुष्ट किए जाने योग्य पाए जाते है।

- आदेश -

19. परिणामतः अपीलांट/प्रतिवादीगण अशोक प्रधान वगैरा की तरफ से प्रस्तुत हस्तगत अपील एततद्वारा अस्वीकार की जाकर खारिज की जाती है। विद्वान विचारण न्यायालय सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या-1, जिला अलवर द्वारा नियमित दीवानी वाद प्रकरण संख्या 34/294/2003, बअनुवान गजराज सिंह व अन्य बनाम महेन्द्र प्रकाश उर्फ सोनू व अन्य, दावा अंतर्गत आदेश 1 नियम 8 जा०दी० बाबत इश्तकरारहक व आदेशात्मक निषेधाज्ञा, में दिनांक 07.03.2017 को पारित निर्णय व डिक्री की उक्तानुसार पुष्टि की जाती है। खर्चा अपील पक्षकारान अपना-अपना

वहन करेंगे। उक्तानुसार डिक्री पर्चा मुर्तिब हो। निर्णय की प्रति के साथ विचारण न्यायालय की पत्रावली वापस भिजवाई जावे।

(अजीत कुड़ी)
अपर जिला न्यायाधीश संख्या-4,
अलवर (राज०)

निर्णय आज दिनाँक **28.03.2026** को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर सुनाया गया।

(अजीत कुड़ी)
अपर जिला न्यायाधीश संख्या-4,
अलवर (राज०)